

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

दिनांक: 08-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
97	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.41) दि. 08-07-2019 (श्री सुशील कुमार तिवारी)	विधान सभा क्षेत्र पनागर में वर्ष 2017-2018 में किसानों द्वारा लिये गये ऋण के संबंध में ऋण माफी योजना अंतर्गत पात्रतानुसार ऋण माफ किया जाना।	योजनान्तर्गत पात्रता अनुसार ऋण माफी प्रक्रियाधीन है।		
98	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.301) दि. 08-07-2019 (श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय)	(1) कटनी जिला अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर बेचे गए गेहूं की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना। (2) कृषि उपज मंडी सिहोरा एवं कटनी में कृषकों के खातों में प्रोत्साहन की राशि दी जाना।	(1) (अ) भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ब) योजनान्तर्गत प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है। (2) प्रोत्साहन राशि दिये जाने बाबत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
99	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.152) दि. 08-07-2019 (श्री विश्वास सारंग)	किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत भोपाल संभाग में आवेदनकर्ता किसानों एवं शेष किसानों का ऋण माफ किया जाना।	योजनान्तर्गत प्रावधान अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
100	तारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.796) दि. 08-07-2019 (श्री करण सिंह वर्मा)	इछावर विधानसभा क्षेत्र के पात्र कृषकों को खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 में बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये गये दावों की गणना कर फसल बीमा की राशि का भुगतान किया जाना।	(1) बीमा कंपनी को उपलब्ध कराया जाना प्रक्रियाधीन है। (2) पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया जावेगा।		
101	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.39) दि. 08-07-2019 (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा)	जिला धार में किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2018 की स्थिति में जिले में किसानों पर कुल ऋण की राशि तथा प्रश्न पूछे जाने की दिनांक तक सहकारी व अन्य बैंकों के माध्यम से कृषकों के ऋण माफी के योग के अंतर की राशि समस्त ऋणी कृषकों के खाते में जमा की जाना।	योजनान्तर्गत पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
102	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.109) दि. 08-07-2019 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	जावरा कृषि उपज मंडी अंतर्गत शासन/विभाग एवं मंडी बोर्ड द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों में शेष कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाना।	शेष 20 कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो जायेगा।		
103	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.302) दि. 08-07-2019 (श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय)	कटनी जिले में जय किसान ऋण माफी योजना/मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना अंतर्गत ऋण माफी हेतु शेष कृषकों का ऋण माफ किया जाना।	शेष कृषकों का ऋण योजना प्रावधान तथा पात्रता अनुसार माफ करने की कार्यवाही की जावेगी।		
104	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.317) दि. 08-07-2019 (श्री राज्यवर्धन सिंह)	जय किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत प्रदेश के ऋणी किसानों का शत-प्रतिशत ऋण माफ किया जाना।	ऋण माफी प्रक्रियारत है। योजना की पात्रता अनुसार किसान की ऋण माफी की जावेगी।		
105	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.43 (प्रश्न क्रं.394) दि. 08-07-2019 (श्री रामपाल सिंह)	रायसेन जिले में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजनान्तर्गत लंबित प्रकरणों को माह जुलाई 2019 तक निराकृत किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाना।	प्रकरण माह जुलाई 2019 तक नियमानुसार निराकृत कर दिये जायेंगे।		
106	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.57 (प्रश्न क्रं.503) दि. 08-07-2019 (डॉ. नरोत्तम मिश्र)	प्रदेश में 1.75 लाख से 2.00 लाख रुपये तक की कर्ज माफी हेतु शेष किसानों का कर्ज माफ किया जाना।	कर्जमाफी की कार्यवाही प्रक्रियारत है।		
107	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.528) दि. 08-07-2019 (श्री हरिशंकर खटीक)	जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत टीकमगढ़ जिले के किसानों का कर्ज माफ किया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
108	अतारांकित प्रश्न सं.47 (प्रश्न क्र.352) दि. 08-07-2019 (श्री अनिल जैन)	(1) निवाड़ी जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत पात्र किसानों को बैंको द्वारा नो-ड्यूज प्रमाण पत्र दिया जाना । (2) निवाड़ी जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत शेष पात्र किसानों का कर्ज माफ किया जाना ।	(1) बैंकों में प्रक्रियाधीन है। (2) शेष पात्र किसानों के कर्जमाफी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
109	अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्र.360) दि. 08-07-2019 (श्री महेश राय)	विधान सभा क्षेत्र बीना के किसानों को वर्ष 2018-19 में खरीफ की फसल सोयाबीन की भावांतर की राशि तथा जय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत गेहूं फसल के प्रोत्साहन राशि को भुगतान की जाना ।	(1) भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह विभाग

दिनांक: 08-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
110	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.258) दि. 08-07-2019 (श्री रामकिशोर कावरे)	प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य द्वारा गृह सचिव को प्रेषित पत्र क्र. 290/कार्यवाही/2019, दिनांक 18.05.2019 पर कार्यवाही की जाना।	प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रचलन में है।		
111	तारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.563) दि. 08-07-2019 (श्री नारायण त्रिपाठी)	जिला सतना अंतर्गत थाना कोलगवां के अपराध क्र. 168/16 व थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्र. 169/17 में कलेक्टर सतना श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.02.2019 अनुसार दोषी पटवारियों/तहसीलदारों के नाम जोड़े जाने व धारा 120बी, भा.द.वि. का अपराधी बनाया जाना।	प्रकरण विवेचनाधीन है, पुलिस अधीक्षक सतना के पर्यवेक्षण में साक्ष्य अनुरूप विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है।		
112	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.141) दि. 08-07-2019 (श्री प्रदीप पटेल)	जिला सतना अंतर्गत मनकहरी में स्थित प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड के विरुद्ध शासकीय दस्तावेजों की कूट रचना का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना।	प्राप्त साक्ष्य अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।		
113	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्रं.218) दि. 08-07-2019 (श्री अरविंद सिंह भदौरिया)	जिला भोपाल में शासकीय आवास क्र. जी 88/79 तुलसी नगर को पूर्व आवंटी से रिक्त कराया जाकर वर्तमान आवंटी को शीघ्र अधिपत्य दिलाया जाना।	नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही प्रचलित है। शीघ्र आवास का अधिपत्य दिलाया जावेगा।		
114	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.72 (प्रश्न क्रं.564) दि. 08-07-2019 (श्री नारायण त्रिपाठी)	रामस्थान की शासकीय जमीनों को कलेक्टर की बिना अनुमति से निजी स्वत्व में नामांतरण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	थाना कोलगवां जिला सतना में अपराध क्रमांक 168/16 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 109, 201, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध हैं, जो विवेचनाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
115	अतारांकित प्रश्न सं.63 (प्रश्न क्रं.493) दि. 08-07-2019 (श्री सुनील सराफ)	जिला इंदौर अंतर्गत थाना एम.आई.जी. के ए.एस.आई. श्री संतोष तिवारी द्वारा जप्त सोने के संबंध में लापरवाहीपूर्वक जांच करने वाली जांच टीम व मालखाने में सोना जमा न कराने वाले संबंधित पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाना ।	त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध जांच की जा रही है। जांच उपरांत दोषी पाये जाने पर त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।		
116	अतारांकित प्रश्न सं.81 (प्रश्न क्रं.586) दि. 08-07-2019 (श्री चेतन्य कुमार काश्यप)	रतलाम शहर के हकीमवाड़ा में प्रस्तावित पुलिस आवासों का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	आवास निर्माण हेतु आगामी स्वीकृति प्राप्त होने पर हकीमवाड़ा में पुलिस आवास का निर्माण किया जायेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

जेल विभाग

दिनांक: 08-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
117	तारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्र.313) दि. 08-07-2019 (श्री निलय डागा)	बैतूल जिले की जिला जेल शहर के मध्य प्राथमिक शाला एवं नगरपालिका परिषद के समीप होने से उसे शहर के बाहर ग्राम कढ़ाई में आवंटित खसरा नं. 184 की 25 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जाना।	(1) जी हां, इस परिस्थिति में जेल की सुरक्षा पूर्णतः सुनिश्चित की गई है। साथ ही जेल को शहर के बाहर निर्मित करने की योजना तैयार की जा रही है। (2) साइट प्लान, कन्टूर प्लान आदि बनाने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
118	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्र.585) दि. 08-07-2019 (श्री चेतन्य कुमार काश्यप)	जिला रतलाम के बाजना रोड पर नई जेल का निर्माण कराया जाना।	नई जेल निर्माण के प्रयास जारी हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 08-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
119	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.201) दि. 08-07-2019 (श्री जसमंत जाटव)	विधान सभा क्षेत्र करैरा में बी.आर.जी.एस. योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों से शेष राशि वापस करवाई जाना।	जी हां। ग्राम पंचायत केवल राशि 1.48 लाख शेष रही है, जिसकी वापसी की कार्यवाही प्रचलित है।		
120	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.26 (प्रश्न क्रं.260) दि. 08-07-2019 (श्री रामकिशोर कावरे)	म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में शासन द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाना एवं जनपद पंचायत बिरसा के ग्राम पंचायत चैरिया के अंतर्गत ग्राम चिलोरा की अनियमितता की जांच/कार्यवाही की जाना।	(1) आवंटन प्राप्त होने पर राशि उपलब्ध कराई जायेगी। (2) जांच आदेशित है।		
121	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्रं.284) दि. 08-07-2019 (श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)	जिला कटनी में मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना अंतर्गत तालाबों के निर्माण हेतु अयोग्य ठेकेदार के चयन की जांच मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से कराई जाना।	जी हां, मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से एक माह में जांच कराई जावेगी।		
122	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.299) दि. 08-07-2019 (श्री अजय विश्वादी)	जिला जबलपुर की मझौली जनपद की रानीताल पंचायत क्षेत्र में कटावघाट पर कार नदी के ऊपर क्षतिग्रस्त लोहे के पुल का पुनः निर्माण कराया जाना।	क्षतिग्रस्त कार्य की जांच उपरांत पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराया जावेगा एवं स्वीकृति संबंधी कार्यवाही की जावेगी।		
123	अतारांकित प्रश्न सं.36 (प्रश्न क्रं.295) दि. 08-07-2019 (श्री बीरेन्द्र रघुवंशी)	जिला शिवपुरी में पंचायत सचिव के पदों पर पात्र आश्रितों को नियुक्ति आदेश जारी किया जाना।	प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
124	अतारांकित प्रश्न सं.39 (प्रश्न क्रं.311) दि. 08-07-2019 (श्री के.पी. त्रिपाठी)	जिला रीवा के विकासखण्ड सिरमौर, रीवा एवं रायपुर (कुर्च.) में बिना उपयोग की गई राशि से पंचायत के विकासोन्मुखी कार्य करवा कर माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को अवगत कराया जाना ।	तत्काल ग्राम पंचायतों के द्वारा कार्य प्रारम्भ कर माननीय प्रश्नकर्ता को अवगत कराया जावेगा।		
125	अतारांकित प्रश्न सं.44 (प्रश्न क्रं.324) दि. 08-07-2019 (श्री हरदीपसिंह डंग)	त्रिस्तरीय पंचायत परिसीमन अंतर्गत सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में पात्र ग्रामों को नवीन पंचायत बनाये जाने तथा नवीन पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाना एवं जनपद तथा जिला पंचायतों के नवीन वार्डों की जानकारी दी जाना ।	(1) जी हाँ। (2) कार्यवाही प्रचलित है (3) कार्यवाही प्रचलित है । (4) कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिनांक: 08-07-2019

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
126	अतारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.137) दि. 08-07-2019 (श्री जालम सिंह पटेल)	प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का सर्वे कराया जाना।	निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी।		